<u>प्रेस नोट दिनांक-29.07.2022</u>

(1). आज दिनाँक-29.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामो इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). दिनाँक-28.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 94/2022 धारा 379 के वाँछित अभियुक्त (1) अजय कुमार पुत्र राजाराम पटेल निवासी जबरापुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा (2) राज पटेल पुत्र रामजी निवासी डाढ़ीपुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी सौर्य ऊर्जा लाइट की 01 अदद बैट्री बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद बैट्री

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप

2. आरक्षी भैयाराम

3. आरक्षी अजीजुद्दीन

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम बिहरवां से अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र चुनकउवा निवासी बिहरवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

18 अदद क्वार्टर देशी शराब

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह

2. आरक्षी वेदप्रकाश

3. आरक्षी बब्बूराजा

(5). आज दिनाँक-29.07.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा आय़ोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम स्थल में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा डियूटी में लगे पुलिस बल को अपने-अपने प्वाइंट पर मौजूद रहकर सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा हैलीपेड स्थल का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामशरण निषाद उर्फ मैकू पुत्र सीताराम निवासी रानीपुर भट्ट हाल पता किराये का मकान पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 किलो 450 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध सूखा गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में दारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

<u>बरामदगीः-</u>

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

02. 01 किलो 450 ग्राम सूखा गांजा

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी

2. आरक्षी पीयूषशरण श्रीवास्तव

3. आरक्षी गोलू भार्गव

4. आरक्षी शिवम राजपूत

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र स्व0 मुन्नालाल निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

15 लीटर कच्ची शराब

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द थाना राजापुर

2. आरक्षी रोहित कुशवाहा

(8). **श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा*** के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह निवासी चितरा गोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति संगम कुमार पुत्र जगदीश उसके साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्या के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केंद्र में नियुक्त महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति-पत्नी की आपसी सुलह होने पर परिवार परामर्श केंद्र में नियुक्त महिला आरक्षी द्वारा दोनो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।